Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड को छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर फेस–II परियोजना के लिए उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण हेतु धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 97.667 हे. वन भूमि एवं कोरबा वनमंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि; कुल 157.035 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के अभिमत तथा उक्त क्षेत्र में हाथियों की उपस्थिति एवं आवागमन को देखते हुए भारत सरकार के गाईड लाईन के तहत् प्रस्तावित अण्डर पास/ओव्हर पास बनाये जाने की शर्त पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 23 -02-2022

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary, C.G. Govt., Forest & Climate Change Department

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Ch...
Deptt. of Forest & Clim...
Mantralaya, Nawa Raipur

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–01/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24/02/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण ,वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015 ।

विषय :– Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for East Rail Corridor Project Construction of New BG electrified line from Urga to Dharamjaigarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh District in Chhattisgarh, area – 157.035 ha. Reg.

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–726/214, दि. 07.02.2022 ।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर फेस–II परियोजना के लिए उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त रेलवे लाईन निर्माण हेतु धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 97.667 हे. वन भूमि एवं कोरबा वन मंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि; कुल 157.035 हे. आरक्षित, संरक्षित, राजस्व एवं नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है। **वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–**	1 –11

क्र	वनमंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	राजस्व वन (हे.)	नारंगी वन भूमि (हे.)	कुल भूमि
1	धरमजयगढ़	5.096	41.077	51.494	–	97.667
2	कोरबा	–	16.242	35.885	7.241	59.368
	योग	**5.096**	**57.319**	**87.379**	**7.241**	**157.035**

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्र. FP/CG/RAIL/ 32194/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि नोडल कार्यालय के पत्र दिनांक 12.04.2018 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 58,000 रूपये जमा कराया गया है।	12 – 15
3	**वन क्षेत्र का विवरण**–धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 97.667 हे. एवं कोरबा वनमंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि, कुल 157.035 हे. आरक्षित, संरक्षित, राजस्व एवं नारंगी वन भूमि छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमंडल अंतर्गत प्रभावित वन भूमियों का विस्तृत विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।	16 – 22

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर फेस–II परियोजना के लिए उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण हेतु वनमंडलवार निम्नानुसार गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है:–	23 – 28

क्र.	वन मंडल	गैर वन भूमि का विवरण (हे. में)
1	धरमजयगढ़	86.759
2	कोरबा	242.858
योग		**329.617**

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर** – प्रस्तावित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50,000 मानचित्र संलग्न है।	29 – 33
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन एवं राजस्व वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	34 – 38
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र–4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 97.667 हे. वन भूमि एवं कोरबा वनमंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि; कुल 157.035 हे. आरक्षित, संरक्षित, राजस्व एवं नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु परियोजना की प्रशासकीय लागत 1,68,600 लाख बतायी गई है।	39 – 61
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 97.667 हे. एवं कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि; कुल 157.035 हे. वन भूमि छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर फेस – II परियोजना के लिए उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।	62 – 67
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	68 – 70
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	71 – 77
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना फेस–II उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. तक ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के जारी सूची में रेलवे लाईन बिछाने बाबत पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना संलग्न है।	78 –116
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या वन मंडलवार निम्नानुसार है:–	117 – 522

क्र	वनमंडल का नाम	साईट क्वालिटी	घनत्व	विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या	विदोहित होने वाले बांस भिरा की संख्या
1	धरमजयगढ़	III & Iva	0.4 से 0.5	30,117	6
2	कोरबा	IVA, IVB	0.2 से 0.6	5,230	1
योग				**35,347**	**7**

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।	523 – 526
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है। इस आशय का यूजर एजेंसी प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	527 – 529
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्तावित परियोजना हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं। इस आशय का आवेदक विभाग का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	530 – 532
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 97.667 हे. एवं कोरबा वन मंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि, कुल 157.035 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं नारंगी वन भूमि के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत कंदई परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी एफ 312, 313, 314, 316, 317 एवं 318 में रकबा 315.00 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्रतिवेदन 7,98,897/– प्रति हे. की दर से तैयार किया गया है। वनखण्डवार, कक्षवार एवं रकबावार जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।	533 – 586
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	587 –595
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	596 –598
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	599 – 601
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	602 – 604
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन भूमि प्रस्तावित होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं वनमंडलाधिकारी कोरबा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	605 –608
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव रेलवे लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है।	609 – 611
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	612 – 614
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	615 – 617

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
25	**व्यवस्थापन प्लान –** मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना फेस–II में प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/2260 /राजस्व शाखा/2020 बिलासपुर दिनांक 01.10.2020 द्वारा जारी व्यवस्थापन प्लान का प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	618 – 692
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** भाग–2 पर वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा दिनांक 22.10.2021 को, तथा वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल द्वारा दिनांक 30.12.2021 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 25.01.2022 से प्रस्ताव पर इस शर्त पर अनुशंसा की गई है कि ''**प्रस्तावित वन क्षेत्र में तेन्दुआ, भालू, तथा अन्य वन्यप्राणी विचरण हेतु रेलवे लाईन के चिन्हित आवागमन स्थानों में अंडर/ओवर पास निर्माण करना प्रस्तावित है। प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जायेगा।**''	693 – 725
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं वनमंडलाधिकारी, कोरबा एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	726 – 728
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना फेस–II में प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	730 – 794
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)** –जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:–	799 – 796
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–	797 – 799
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–	800 – 802

बिंदु 29:

क्र.	जिले का नाम	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)
1	रायगढ़	244804.00
2	कोरबा	283497.00

बिंदु 30:

क्र	जिले का नाम	स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा (रकबा हे. में)
1	रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में प्रभावित वन भूमि	384.974
2	कोरबा	1089.268

बिंदु 31:

क्र	जिले का नाम	प्रकरण संख्या	कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा (रकबा हे. में)
1	रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में प्रभावित वन भूमि	02	90.553
2	कोरबा	–	–

क्रमशः 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी –** वनमंडलाधिकारी, धरजकयगढ़ वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना फेस–II में प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य के 10 कि.मी. परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य, ऐतिहासिक महत्व चिन्ह, मूर्ति या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है। उक्त रेलवे लाईन चिन्हित किया गया है वह क्षेत्र प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र से 3 कि. मी. की दूरी पर आता है एवं वन विभाग, छत्तीसगढ़ कैम्पा द्वारा प्रस्तावित वाईल्ड लाईफ कारीडोर प्रभावित हो रहा है। प्रस्तावित रेलवे लाईन धरमजयगढ़ एवं छाल परिक्षेत्र में जहॉ साल भर हाथी की उपस्थिति और आवागमन होता रहता है। कई जगह पर हाथी दल का उक्त प्रस्तावित रेल लाईन से Crossing नियमित रूप से होते रहता है। इसी प्रकार वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित नहीं है। परन्तु प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी परिधि के अंतर्गत 1 से 7 कि. मी. में हाथियों का आवागमन होता रहता है। वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार उक्त क्षेत्र में हाथियों की उपस्थिति एवं आवागमन को देखते हुए भारत सरकार के गाईड लाईन के तहत् अण्डर पास/ओव्हर पास प्रस्तावित किया जाना है जो प्रस्तावित वन्यप्राणी योजना में सम्मिलित किया जावेगा।	803 – 805
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	806 – 808
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण का कलेक्टर रायगढ़ का पत्र दिनांक 20.03.2019 से एवं कलेक्टर, कोरबा का पत्र दि. 03.01.2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	809 – 827
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर रायगढ़ द्वारा दिनांक 20.03.2018 एवं कलेक्टर कोरबा द्वारा दिनांक 03.01.2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	828 – 837
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	838 – 840
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	841 – 843
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रभावित वनपरिक्षेत्रों में कुल 30,117 नग वृक्ष एवं 6 नग बांस भिर्रा विद्यमान है। जिसका कुल इमारती आयतन 922.315 घन मीटर एवं जलाऊ आयतन 1165.605 घन मीटर है। प्रभावित क्षेत्र में सागौन, साल, बीजा, तिल्सा, चार, पलाश, धावड़ा एवं अन्य मिश्रित जलाऊ प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित है। वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रभावित वनपरिक्षेत्रों में कुल 5231 नग वृक्ष जिसका कुल इमारती आयतन 221.385 घन मीटर एवं जलाऊ आयतन 427.500 घन मीटर है। प्रभावित क्षेत्र में सागौन, साल, बीजा, तिल्सा, चार, पलास, धावड़ा एवं अन्य मिश्रित जलाऊ प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित है। इस क्षेत्र के उपरी सतह प्राकृतिक कारणों से कड़ी मिट्टी, बलूई, चिकनी एवं दोमट है, जिसमें ह्यूमस लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है, जिसमें वनस्पति विकास दर अत्यलप है एवं मृदा क्षरण की संभावना नहीं है।	844 – 848

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ तथा वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल के द्वारा दिया गया है।	849 – 851
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	852 – 854
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	855 – 857
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –**प्रस्तावित रेलवे लाईन के वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में वन्यप्राणी परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। परियोजना प्रस्ताव तैयार होने उपरांत प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत सहित जमा करने हेतु आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	858 – 860
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का संबंधित वनमंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।	861 – 863
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।	864 – 996

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 1 प्रति में ।

24.2.22

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–01/2022/10–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/02/2022

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,

2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़/कोरबा वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।

4. आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग